आत्मनिर्भर भारत
सहकारी समितियों के माध्यम से

सहकारी समितियां आर्थिक और व्यापारिक उद्यमों का सबसे शुद्ध और सहज स्वरूप हैं जो मां-प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का मिलजुलकर उपभोग करने का प्रतिरूप हैं। सहकारी उद्यमों में लोग सम्मिलित प्रयास करके और संसाधनों को एक साथ जुटाकर आर्थिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जबकि अकेले इस लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले समर्थन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के कारण तथा प्रशासनिक व्यय को मिलाकर सरकार पर बहुत भारी बोझ पड़ता है। भारत में सहकारी व्यवस्था के सशक्त आधार और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने का ही यह नतीजा है कि सरकार ने खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का प्रबंधन कृषि सहकारी समितियों को सौंपने का सर्वथा उचित निर्णय लिया!

दीनानाथ ठाकुर | देश में सहकारिता विकास को समर्पित सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पूर्व उपप्रबंध निदेशक। ईमेल: dnthakur@yahoo.com

'सहकार' भारत की विचारधारा रही है और सहकारी आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। इस समय देश में लगभग 29 करोड़ लोग सीधे देश के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सहकारी समितियां विशेषकर कृषि, दुग्धपालन (डेयरी) और मत्स्यपालन ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोज़गार के अवसर जुटाने के साथ ही समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के जरिये वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराती हैं।

प्रधानमंत्री का 'सहकार से समृद्धि' आह्वान का और 6 जुलाई, 2021 को सहकारी क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अलग मंत्रालय गठित करने के फैसले का सभी सहकारी समितियों ने जोरदार स्वागत किया। इससे देश में सहकारी क्षेत्र के विकास और उसे प्रोत्साहन देने के प्रति तत्कालीन सरकार की निष्ठा का पता चला। साथ ही, यह भी पता चला कि सरकार सहकारी समितियों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प मानती है जिनके माध्यम से देश में समावेशी अर्थव्यवस्था विकसित करके आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार किया जा सकता है।

सहकारिता का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर प्रभाव

सहकारी समितियां सामाजिक-आर्थिक नीति और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के सबसे प्रभावी माध्यम हैं क्योंकि इनमें गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसर जुटाने की विशेषताएं निहित हैं। ये सहकारी समितियां जन-केंद्रित नागरिक

संगठन होने के नाते वस्तुएं और सेवाएं बिना किसी झंझट या परेशानी के लोगों के घर तक पहुंचा सकती हैं।

सहकारी उद्यमों में लोग साझे प्रयास करके और संसाधनों को एकजुट करके उन आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें अकेले या अलग-अलग प्रयासों से नहीं पाया जा सकता। सहकारी उद्यम बाजार तक सुगम और सुनिश्चित पहुंच बनाकर स्वतंत्र बाजार व्यवस्था कायम करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं। तभी तो ये उद्यम देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

सहकारी समितियां, कृषि और खाद्य सुरक्षा

किसानों की समृद्धि और स्थायी खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पाने के लिए भारत को नए तरीके अपनाने होंगे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें क्रांतिकारी और आमूलचूल बदलाव लाने और अन्न के उत्पादन, आपूर्ति और खपत तक की पूरी खाद्य शृंखला में हर कदम पर नवाचार लागू करने की जरूरत होगी।

हमें ऐसी नई प्रणालियां विकसित करनी होंगी जिनसे उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सुरक्षा और विस्तार भी किया जा सके। इसके लिए 'समावेशी' दृष्टिकोण में बदलाव की ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो स्वदेशी और परम्परागत जानकारी पर आधारित हो और जिसमें सहकारी समितियों जैसे समुदाय-आधारित संस्थानों के महत्व और उपयोगिता को पूरी तरह स्वीकार करके समुचित मान्यता प्रदान की जाए। किसानों को उनकी अपनी सहकारी समितियों के माध्यम से सक्रिय करना होगा ताकि वे पूरी कुशलता और दक्षता से फसल चक्र में लचीलापन अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने और आजीविका के साधन जुटाने के प्रयासों में लग जाएं तथा जमीन या मिट्टी की उर्वरता और जैव-विविधता को भी सुधारें। हमें इकोसिस्टम फिर से तैयार करते समय कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक समाधान अपनाने होंगे।

कृषि समर्थन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से सरकार को भारी वित्तीय बोझ और प्रशासनिक व्यय सहना पड़ता है। देश में सहकारिता का सशक्त आधार होने और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित रहने के कारण ही सरकार ने खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का प्रबंधन कृषि सहकारी समितियों को सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार को समझना होगा कि खाद्य सुरक्षा, रोजगार, गरीबी कम करने और वित्तीय समावेशन जैसे प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की समस्याओं को जानने और उन्हें हल करने में सहकारी समितियों की भूमिका सबसे अहम है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसके लोग और खासकर देश के लाखों किसान परिवार। देश में किसानों की ताक़त और व्यावसायिक प्रबंधन में समन्वय स्थापित करके बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है।

सहकार ग्राम-देश का भविष्य

इस दिशा में बढ़ने के उद्देश्य से सुझाव दिया जा सकता है कि सरकार द्वारा उपयुक्त नीतियां और प्रोत्साहन योजनाएं चलाकर किसानों को सहकारी समितियों से जुड़ने के लिए बढ़ावा दिया जाए और देश के हर गांव को 'आत्मनिर्भर सहकार ग्राम' बनने की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। 'सहकार ग्राम' की धारणा के अंतर्गत कृषि विकास और खाद्य प्रबंधन का असल जिम्मा गांवों और किसानों को ही सौंप दिया जाए। इस प्रकार किसानों को अपने प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों को पूल करके (एकत्र करके) सुनिश्चित करना होगा कि इनका उपयोग पूरी कुशलता के साथ लम्बे समय तक होता रहे और इनकी सुरक्षा और संरक्षण भी हो। जमीन, पानी और पशुओं के कुशल प्रबंधन से यह पक्का हो सकेगा कि किसी प्रकार की बर्बादी नहीं हो रही और कृषि आदानों को केवल तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।

राष्ट्रीय सहकारी खाद्य ग्रिड स्थापित करने पर जोर

सरकार राष्ट्रीय सहकारी खाद्य ग्रिड (एनसीएफजी) स्थापित करने की संभावना पर विचार कर सकती है। भारत के हर गांव में एक कृषि सहकारी समिति बनाई जा सकती है जो वहां की सभी आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर करेगी। इससे उत्पादन लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। ग्राम स्तर की हर सहकारी समिति में कृषि संबंधी यंत्र तथा पशुओं की देखभाल के लिए केंद्र होना चाहिए। ग्राम स्तर की ऐसी दो या तीन सहकारी समितियां मिलकर बहुउद्देश्यीय ग्राम सहकारी समिति (एमपीवीसीएस) गठित कर सकती हैं जिसमें जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के भंडारण, चयन, वर्गीकरण, पैकेजिंग और क्रय-विक्रय की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये एमपीवीसीएस अपने सदस्यों को ऋण सुविधा भी देंगी तथा हरित ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराएंगी जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी हो। इन समितियों को ही सरकार का खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम संभालने का पूरा जिम्मा भी दिया जाएगा। समुदाय स्तर पर और 2 लाख बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां स्थापित करने के सहकारिता मंत्रालय के हाल के फैसले से भारत में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में बड़ी मदद मिलेगी।

गांव में पैदा होने वाले अन्न का एक-एक दाना इन सहकारी समितियों के माध्यम से ही एनसीएफजी तक पहुंचना चाहिए। इससे अन्न का नुकसान और बर्बादी एकदम समाप्त हो जाएगी। ग्राम सहकारी समिति प्रत्येक सदस्य से उसकी उपज लेकर एमपीवीसीएस को पहुंचाएगी जो सरकार द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से उस उपज के मूल्य की राशि संबंधित सदस्य के खाते में तुरंत जमा कर देगी। जहां सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य उपलब्ध नहीं होंगे वहां सदस्यों को सबसे बढ़िया बाजार-भाव के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। यदि कोई किसान अपनी फसल तुरंत न बेचना चाहे तो वह सहकारी समिति को इस बारे में बता सकता है।-किसान को अपनी 'पसंद', अपनी 'आवाज़' और अपनी 'कीमत' का विकल्प हर हाल में मिलना चाहिए। एमपीवीसीएस खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए अन्न का भंडारण कर सकती है और इसके लिए उन्हें सरकारी एजेंसियों से उचित भुगतान मिलना चाहिए।

यदि समूचे देश में यह अवधारणा लागू हो जाए तो हमारे पास कुल करीब 7 लाख ग्रामीण कृषि सहकारी समितियां

और लगभग 3.5 लाख एमपीवीसीएस हो जाएंगी। ग्राम स्तर की सहकारी समितियों और एमपीवीसीएस के पूरे नेटवर्क को डिजिटली कनेक्ट करके राष्ट्रीय सहकारी खाद्य ग्रिड (एनसीएफजी) की स्थापना की जा सकती है। मेरा मानना है कि अन्न उत्पादन लागत कम करके और सरकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के खर्च को व्यवस्थित करके एनसीएफजी देश में हर वर्ष 3 ट्रिलियन डॉलर रुपये की बचत करा सकता है। यह राष्ट्रीय सहकारी खाद्य ग्रिड ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध कराके ग्रामीण विकास की नई लहर ला सकता है।

एनसीएफजी की मदद के लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण और कृषि समृद्धि कोष (एनआरएफपीएफ)' भी स्थापित किया जा सकता है जिससे सहकारी मूल्य-आधारित उद्यमों के माध्यम से 'आत्मनिर्भर भारत' आंदोलन को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। इस नवाचार-आधारित रचनात्मक पहल से एनआरएफपीएफ और एनसीएफजी के लिए मौजूदा बजट प्रावधानों में से ही आसानी से आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाएगी। यदि सरकार और निगमित क्षेत्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता का कुशलता और सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो यह आर्थिक और सामाजिक कल्याण का ऐसा महत्वपूर्ण साधन बन सकता है जिससे देशवासियों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी।

कृषि उत्पादन व्यवस्था के कारगर प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और खाद्य सप्लाई चेन प्रबंधन, स्वच्छ और हरित माध्यमों से ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की रोकथाम तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखना देश के समक्ष प्रमुख भावी चुनौतियों में से हैं और इन क्षेत्रों में ही सहकारी समितियों के लिए अपार संभावनाएं भी निहित हैं। सहकारी समितियां इन अवसरों का लाभ उठाने में सबसे अधिक उपयोगी और सहायक संस्थाएं हैं और सही मायनों में सहकारिता के मूल्यों पर आधारित उद्यम की पहल कभी विफल नहीं हो सकती आर्थिक स्थिति और बाजार की व्यवस्था चाहे जैसी भी हो। देश में अभी यह देखा जाना है कि सदस्यों की कुशलता से संचालित सहकारी समिति क्या कमाल कर सकती है और फिर यह भी कि ऐसी सहकारी समितियों से ही हर प्रकार का शोषण पूरी तरह रोका जा सकता है, तभी तो हम सब प्रकार से संपन्न और समृद्ध बन सकेंगे। 'विकास और आत्मनिर्भर भारत' का मार्ग देश के लोगों, गांवों, नदियों, खेतिहर भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और सहकारिता के सशक्त आधार से ही होकर जाता है। ❑

(लेख में व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी-विंग, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455